न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 18/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 ममता पत्नी हस्तीमल कौम रावल निवासी केलवाद तह0 सोजत		1 सरकार जरिए तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत, तहसील— सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 03.07.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थीयां ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि पटवार हल्का केलवाद तहसील सोजत में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 1.5000 हैक्टर, किस्म बा0दो0 स्थित है। प्रार्थीया ने दिनांक 23.01.2019 को तहसीलदार सोजत के समक्ष उक्त खसरा की कृषि भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार सोजत के आदेश कमांक/भू—अभिलेख/19/149/दिनांक 23.01.2019 की पालना में पटवारी हल्का केलवाद ने दिनांक 02.02.2019 को प्रार्थीया व मौतबिर की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर सीमांकन किया गया तथा ट्रेस नक्शा मिलान किया व मौका फर्द रिपौर्ट श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए उक्त खसरा की भूमि का सीमांकन अनुसार पत्थरगढी के जरिये मुटाम लगाया जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्टा में तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का केलवाद को भूमि सीमांकन के बाद पत्थरगढी हेतु निवेदन किया तो पटवारी ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निवेदन किया । प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि सरहद मौजा केलवाद में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने व सरहद मौजा केलवाद की खसरा संख्या 182 रकबा 1.5000 हैक्टर खातेदारी भूमि का सीमांकन अनुसार मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

03.2019 से लगातार अवसर दिए जाने पर भी जबाब पेश करने में विफल रहने से जबाब बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि तहसीलदार, सोजत के आदेश क्रमांक/भू0अ0/19/149 दिनांक 23.01.2019 की पालना में मौके पर रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमां ज्ञान करवाया जा चुका है किन्तु पत्थरगढी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है तथा आवश्यकता होने पर पत्थरगढी किये जाने में पुलिस ईमदाद तहसीलदार, सोजत को दिये जाने के आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थिया पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाकर आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद पत्थरगढी करवाए जाना उचित समझते हैं।

–ः<u>आदेश</u>ः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा केलवाद पटवार हल्का केलवाद तहसील–सोजत में स्थित प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 1.5000 हैक्टर बा0दो0 का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार, सोजत को इस हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद नियमानुसार प्राप्त कर लेवें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner